दिनांक 16 जनवरी, 1987

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/गुड़गांव/151-86/2878.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० आनन्द गैस लि० प्लाट नं० 6, पोस्ट मारुति इण्डस्ट्रीयल एरिया, गुड़गांव के श्रमिक श्री सत्यनारायण राय मार्फत श्री पी०के धम्पी बी-II आई०डी०पी०एल० टाऊनशिप, गुड़गांव तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ।

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इस लिए अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415- 3श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है ।

क्या श्री सत्यनारायण राय की सेवा का समापन न्योचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 19 जनवरी, 1987

सं. ओ. वि./अम्बाला/96-86/3101.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ (2) जनरल मैनेजर हरियाणा रोड़वेज, अम्बाला शहर के श्रमिक श्री जय भगवान हैल्पर पुत्र श्री हरिराम गांव साया खेड़ा डा० खुहरु, जिला सोनीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है।

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ।

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियक, की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री जय भगवान हैल्पर की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर रहकर नौकरी से पुर्नग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 21 जनवरी, 1987

सं० ओ० वि०/भिवानी/139-86/3418.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि (1) परिवहन आयुक्त हरियाणा, चण्डीगढ़ (2) जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज, भिवानी के श्रमिक श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री बदलू राम धन्ना नरसान, तहसील व जिला भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री प्रेम सिंह परिचालक की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ।